कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल म.प्र.

क्रमांक 86/2 / स्टेनो/ प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./ 2003 भोपाल दिनांक 29.10.03

परिपत्र

सामान्यतः यह देखा गया है कि विभाग के कई अधिकारी / कर्मचारी अपने स्वत्वों व मांग को प्रभावी बनाने के एिल अभ्यावेदन तथा शिकायतों में शासन के गोपनीय दस्तावेजों एवं ऐसी फाइल की टिप्पणी जिस तक पहुंचने के लिए यह अधिकृत नहीं है, प्रतिलिपि संलग्न करते हैं। उनका यह कृत्य दण्डनीय है। इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उपनियम 12 में क्रमांक ए–सीः5–1–96–3–एक–दिनांक 25 मई 2000 द्वारा किये गये संशोधन अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

उपुर्यक्त प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करें। यदि ऐसे मामले में कार्यवाही के लिए आप सक्षम न हो तो मामला तैयार कर अनुशंसा के साथ इस कार्यालय को अवश्य भेजें। इस संबंध में आप समुचित निर्देश अधीनस्त कार्यालयों को अपने स्तर से जारी करें तथा यह देखें कि शासन द्वारा ज्ञापित निर्देशों का कड़ाई से पालन हो ताकि शासन के गोपनीय कागजातों की गोपनीयता सुरक्षित बनी रहे।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल म.प्र.

पृ.क्र. 86 / 2 / स्टेनो/ प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./ 2003 भोपाल दिनांक 29.10.03

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल / इंदौर / जबलपुर/ ग्वालियर / वि. / यां परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक सवास्थ्य यांत्रिकी मण्डल ––––––––––––––
3. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड –––––––––––––

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल म.प्र.